भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *55

(जिसका उत्तर शुक्रवार,18 नवम्बर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया जाना है)

आय घोषणा योजना

***55. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः**

डॉ. कंभमपति हरिबाबूः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आय घोषणा योजना, 2016 की घोषणा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और नकदी तथा अन्य परिसंपत्तियों के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त की गई कुल घोषित धनराशि कितनी है;

(ग) आय घोषणा योजना, 2016 के भाग के रूप में संग्रहीत किए गए कर की मात्रा कितनी है;

(घ) स्वैच्छिक घोषणा योजना, 1997 के मुकाबले आय घोषणा योजना, 2016 किस हद तक सफल या असफल रही है; और

(ङ) काला धन को उजागर करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आय घोषणा योजना के बारे में डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य; और डॉ. कंभमपति हरिबाबू, संसद सदस्य, द्वारा पूछे गए लोकसभा के दिनांक 18.11.2016 के तारांकित प्रश्न संख्या *55 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) आय घोषणा योजना, 2016 (योजना), वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शुरू की गई थी ताकि ऐसे व्यक्तियों को एक अवसर दिया जा सके जिन्होंने विगत में पूरे कर अदा नहीं किए हैं और वे आगे आकर इसके संबंध में अघोषित आय घोषित कर सकें और उस पर कर, अधिभार और शास्ति का भुगतान कर सकें। यह योजना 1 जून, 2016 से लागू हुई थी और 30.09.2016 को बंद हो गई थी।

इस योजना में, इस प्रकार घोषित की गई आय पर 30% की दर से कर लगाए जाने तथा देय कर पर 25 % की दर से अधिभार (जिसे कृषि कल्याण उपकर कहा गया) लगाए जाने तथा देय कर पर 25 % की दर से शास्ति लगाए जाने का प्रावधान था। यह योजना उन व्यक्तियों के संबंध में उपलब्ध नहीं थी जिन पर विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत, इस योजना के तहत विनिर्दिष्ट किए अनुसार कार्यवाहियाँ लंबित थीं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत *64,275 घोषणाकर्ताओं ने *65,250 रुपए की अघोषित आय की घोषणा की है।
**अनंतिम*

(ग) इस योजना के अंतर्गत कर, अधिभार और शास्ति, 3 किस्तों में देय है। पहली किस्त के भुगतान की अधिसूचित तारीख 30 नवम्बर, 2016 है, अतः योजना के हिस्से के रूप में संग्रहित कर की मात्रा का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) आय घोषणा योजना, 2016 (आईडीएस 2016) और आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1997 (वीडीआईएस 1997) के तुलनात्मक आँकड़ें नीचे सारणी में दिए गए हैं:

	वीडीआईएस 1997*	आईडीएस 2016
घोषणाकर्ताओं की संख्या	4,72,162	64,275#
घोषित धनराशि	33,697.32 करोड़	65,250 करोड़#
योजना के अंतर्गत अदा किया गया/ देय कर	9,729.02 करोड़	29,362.5 करोड़**

**आंकड़ों का स्रोतः 2005 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 12(प्रत्यक्ष कर)*
#अनंतिम
***इस योजना के अंतर्गत घोषित धनराशि पर 3 किस्तों में देय तथा 45 प्रतिशत की दर से संगणित धनराशि।*

उपर्युक्त के आलोक में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वीडीआईएस 1997 की तुलना में आईडीएस 2016 अधिक सफल रही है।

(ड.) सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए नीतिगत पहलों और प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल है-
(i) माननीय उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायधीशों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन।
(ii) विदेश में जमा काले धन के मुद्दे से विशेष रूप से निबटने के लिए "काला धन(अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, जो कि 1.7.2015 से लागू हुआ, का अधिनियमन।

(iii) पनामा पेपर लीक मामले में हाल ही की जानकारी की जांच पड़ताल करने के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन करना जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तिय आसूचना एकक के अधिकारी हैं।

(iv) दोहरे कर परिहार करार/ कर सूचना आदान-प्रदान करार/ बहुपक्षीय कंवेंशन के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और बढ़ाने के आशय से विदेशी सरकारों के साथ पूर्व सक्रिय रूप से जुड़ना।

(v) नॉन इंड्रुसिव उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेश में जमा काले धन से संबंधित मामलों पर और प्रभाव वाले मामलों को प्राथमिकता दी गई है ताकि कर अपवंचन/ काला धन के विरुद्ध विश्वसनीय निवारकता के लिए यथाशीघ्र उल्लंघनकर्ताओं को अभियोजित किया जा सके।

(Vi) अन्य बातों के साथ-साथ सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी करार में शामिल होने तथा विदेशी लेखा कर अनुपालना अधिनियम के अंतर्गत यूएसए के साथ सूचना के आदान-प्रदान करके कर अपवंचन/ काले धन से निबटने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से वैश्विक प्रयासों को और आगे बढ़ाना।

(Vii) अन्य देशों के साथ डीटीएए के साथ पुनः समझौता करना ताकि सूचना के आदान-प्रदान संबंधी आर्टिकल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके तथा विभिन्न क्षेत्राधिकारिताओं के साथ नए डीटीएए और टीआईईए पर हस्ताक्षर करते हुए भारत के संधि नेटवर्क को बढ़ाना ताकि सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाया जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके।

(viii) वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से धन आशोधन निवारण अधिनियम, 2002 को संशोधित करते हुए देश के भीतर अथवा देश के बाहर, जहाँ संपत्ति ली गई है/ अपराध का प्रतिफल हुआ है, के समतुल्य मूल्य की सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती को समर्थ बनाना।

(ix) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को संशोधित करने के क्रम में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को अधिनियमित करना ताकि अन्य बातों के साथ-साथ बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सके तथा अभियोजन का प्रावधान करना। बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 के संशोधित निषेध के प्रावधान 1.11.2016 से लागू हो गए हैं।

(x) कर अनुपालना को बढ़ावा देने और उपलब्ध सूचना का प्रभावकारी प्रयोग करने के क्रम में नॉन इंड्रुसिव जानकारी उत्प्रेरक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी आधारित "प्रोजेक्ट इनसाइट" आरंभ किया जाना।

(xi) दिनांक 8.11.2016 की अधिसूचना संख्या 2652 [का. आ. 3407(अ)] के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 500 रुपए और 1000 रूपए मूल्य के बैंक नोटों की मौजूदा श्रृंखला को वापिस लेना।